[2006] 3 उम. नि. प. 189

एस. डी. सिंह

बनाम

झारखंड उच्च न्यायालय, मार्फत महारजिस्ट्रार और अन्य

7 दिसंबर, 2005

न्यायमूर्ति (श्रीमती) रूमा पाल और न्यायमूर्ति (डा.) ए. आर. लक्ष्मणन्

सेवा विधि – न्यायपालिका – अधीनस्थ न्यायपालिका – सेवानिवृत्ति की तारीख – सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने का फायदा – ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन II बनाम भारत संघ वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया जाना कि सेवाकाल बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने का फायदा सभी अधिकारियों को स्वतः ही नहीं मिलेगा बल्कि उनकी योग्यता और सक्षमता के मूल्यांकन के आधार पर दिया जाएगा और यह अभिनिर्धारित किया जाना कि यह मात्र आनुषंगिक निदेश हैं और इस संबंध में संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा एक व्यापक राष्ट्रीय नीति अथवा नियम बनाए जाएं – संबद्ध उच्च न्यायालय द्वारा कोई नीति अथवा नियम न बनाया जाना – अपर जिला न्यायाधीश को उसके सेवा संबंधी अभिलेख के आधार पर उसका एक औसत अधिकारी के रूप में निर्धारण और मूल्यांकन किए जाने पर उक्त फायदा दिए जाने से इनकार – विधिमान्यता – अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पूर्व में कई अधिकारियों को अतिष्ठित करके प्रोन्नति पाए जाने को आधार बनाया जाना – अपर जिला न्यायाधीश का पूर्व में कई अधिकारियों का अतिष्ठित करते हुए प्रोन्नति पाए जाने से मात्र यह दर्शित होता है कि वह तत्समय उन अधिकारियों से बेहतर था जिनको अतिष्ठित किया गया था किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि याची (अपर जिला न्यायाधीश) आगे भी सेवा में बने रहने के योग्य और सक्षम है ।

इस रिट याचिका में प्रश्न यह है कि क्या याची को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के लिए कहा जा सकता था और उसकी सेवा को 60 वर्ष की आयु तक बढ़ाया नहीं जा सकता था । याची अपर जिला न्यायाधीश था । वर्ष 2003 में उसे तारीख 14 मई, 2003 का वह आदेश तामील किया गया जिसमें यह अधिकथित किया गया कि न्यायालय ने याची की सेवाओं का निर्धारण और मूल्यांकन करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया है कि याची को सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष तक बढ़ाए जाने का फायदा अनुज्ञात नहीं किया जाए । परिणामस्वरूप, याची

को तारीख 31 दिसम्बर, 2003 को अधिवर्षिता की 58 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर सेवानिवृत्त होना पड़ा । उस आदेश को संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन इस आधार पर आक्षेपित किया गया कि आक्षेपित आदेश में अवलंबित विनिश्चय अर्थात् ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन **बनाम** भारत संघ वाला मामला याची के मामले को लागू नहीं होता था । यह निवेदन भी किया गया है कि याची की सेवाओं को न बढ़ाए जाने संबंधी आधारों को, जैसा कि प्रत्यर्थियों द्वारा रिट याचिका के उत्तर में फाइल किए गए प्रति-शपथपत्रों में प्रकट किया गया है, तथ्यतः और विधितः कायम नहीं रखा जा सकता था । ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन (I) **बनाम** भारत संघ वाले मामले में इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायाधीशों की एसोसिएशन द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि न्यायिक सेवाओं के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में समुचित नियम विरचित किए जाने चाहिएं या विद्यमान नियम संशोधित किए जाने चाहिएं जिससे कि तारीख 31 दिसम्बर, 1992 से सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष नियत की जा सके । संबंध में ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन (II) **बनाम** भारत संघ वाले मामले में भारत संघ और विभिन्न राज्यों द्वारा फाइल किए गए पुनर्विलोकन आवेदन में पुनर्विचार किया गया था । पुनर्विलोकन आवेदन का निपटारा करते हुए यह कथन किया गया था कि सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करके 60 वर्ष तक करने का फायदा सभी न्यायिक अधिकारियों को उनकी पिछली सेवा के अभिलेख और न्यायिक प्रणाली में उनकी सतत् उपयोगिता के साक्ष्य को विचार में लाए बिना स्वतः ही उपलब्ध नहीं होगा । यह फायदा उनको उपलब्ध होगा जिनके अपने-अपने उच्च न्यायालयों की राय में सतत उपयोगी सेवा में बने रहने की संभाव्यता है । यह निष्क्रिय, अशक्त, शंकास्पद सत्यनिष्ठा, ख्याति और उपयोगिता वाले अधिकारियों के लिए अप्रत्याशित फायदे के रूप में आशयित नहीं है । सतत् उपयोगिता की संभाव्यता का निर्धारण और मूल्यांकन संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा गठित और उनकी अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की समुचित समितियों द्वारा किया जाएगा और मूल्यांकन न्यायिक अधिकारियों की पिछली सेवाओं के अभिलेख, चरित्र पुस्तिकाओं, निर्णय की क्वालिटी और अन्य सुसंगत बातों के आधार पर किया जाएगा । उच्च न्यायालय को उन अधिकारियों के मामले में, जो 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले हैं न्यायिक अधिकारियों को लागू अपने-अपने सेवा नियमों में अधिकथित अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए यह कार्यवाही आरंभ करनी चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए । जो इस स्तरमान द्वारा पात्र न पाए

जाएं उन्हें उच्चतर सेवानिवृत्ति आयु का फायदा नहीं दिया जाना चाहिए और उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति की उक्त प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए 58 वर्ष की आयु में अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिया जाना चाहिए । उच्चतम न्यायालय द्वारा समुचित आदेश द्वारा रिट याचिका खारिज करते हुए,

न्यायालय ने इस मामले में उल्लिखित निदेशों के संबंध में यह स्पष्ट किया कि जारी किए गए निदेश मुख्य निदेश के सहायक और अनुषंगी और अनुपूरक मात्र हैं और तब तक अंतःकालीन उपाय के रूप में आशयित हैं, जब तक कि कोई व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार नहीं की जाती है । ये निदेश, जिस सीमा तक वे लागू होते हैं, युक्तियुक्त और आवश्यक हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा एक मूल्यांकन समिति स्थापित की गई थी । मूल्यांकन समिति ने याची के सेवा अभिलेख पर विचार किया और यह सिफारिश की कि याची और दो अन्य न्यायाधीशों को 58 वर्ष की आयु के परे सेवा में बनाए नहीं रखा जाना चाहिए । मामले को पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसने मूल्यांकन समिति की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया । तारीख 14 मई, 2003 का आक्षेपित पत्र पूर्वोक्त परिस्थितियों में याची को लिखा गया था । याची की दलील यह है कि वह बहुत अच्छा अधिकारी है, जैसा कि उसके अभिलेख से दर्शित होता है । तारीख 27 सितम्बर, 1999 के आदेश का विनिर्दिष्ट रूप से अवलंब लिया गया जिसके द्वारा याची ने अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ अपर जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अनेक ज्येष्ठ अधिकारियों को अतिष्ठित किया था । यह दर्शित करने के लिए याची एक अच्छा अधिकारी था, उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में की गई विभिन्न टिप्पणियों के प्रति भी निर्देश किया गया । आरंभतः, यह उल्लेख किया जा सकता है कि याची ने असद्भाव के किसी आधार पर जोर नहीं दिया । प्रति-शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि मूल्यांकन समिति ने याची की वर्ष 1976 से 1997 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर विचार किया जिनमें से अनेक रिपोर्टों से यह दर्शित होता कि याची एक औसत अधिकारी था, विशेष रूप से उन रिपोर्टों से जो याची के 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के ठीक पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में थीं । इसके अतिरिक्त यह उल्लेख किया गया कि याची के विरुद्ध किए गए अनेक अभिकथनों के आधार पर जिसमें उस निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा दी गई रिपोर्ट भी है, जिसने निरीक्षण किया था और यह रिपोर्ट दी थी कि याची की प्रतिष्ठा ठीक नहीं है, याची के विरुद्ध सतर्कता संबंधी कार्यवाही आरंभ की गई थी । तथापि, यह उल्लेख भी किया गया कि जहां तक

यद्यपि याची ने गुणागुण के आधार पर अभिकथनों से इनकार किया है, तथापि, उसने प्रति-शपथपत्र के उत्तर में इससे इनकार नहीं किया है कि वास्तव में ऐसा कोई सतर्कता संबंधी मामला लंबित पड़ा था । इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिसके आधार पर मूल्यांकन समिति और तत्पश्चात् उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने यह मत अपनाया कि याची 58 वर्ष की आयु के परे सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं था । याची द्वारा अन्य अधिकारियों को अतिष्ठित करने संबंधी प्रोन्नति आदेश का अवलंब लिया जाना भ्रांत धारणा पर आधारित है क्योंकि इससे मात्र यह दर्शित होता है कि याची उनसे (अधिकारियों से) बेहतर था जो अतिष्ठित हो गए थे किन्तु इससे यह साबित नहीं होता कि याची सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्त था । (पैरा 4, 6, 11, 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2003]	(2003) 9 एस. सी. सी. 592 : **सैय्यद टी. ए. नक्शबंदी** बनाम **जम्मू और कश्मीर राज्य** ;	13
[2000]	(2000) 2 एस. सी. सी. 339 : **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** बनाम **सरनाम सिंह** ;	6
[2000]	(2000) 2 एस. सी. सी. 247 : **ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन (III)** बनाम **भारत संघ** ;	7, 8
[1999]	(1999) 4 एस. सी. सी. 235 : **रजत बर्मन राय** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य ;**	7
[1993]	(1993) 4 एस. सी. सी. 288 : **ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन (II)** बनाम **भारत संघ ;**	2
[1992]	(1992) 1 एस. सी. सी. 127 : **ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन** बनाम **भारत संघ** ।	3

आरंभिक (सिविल) अधिकारिता : 2003 की रिट याचिका (सिविल) सं. 393.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से	सर्वश्री अनुराग कुमार, सुदामा ओझा और डा. माया राव
प्रत्यर्थियों की ओर से	श्री अशोक माथुर

आदेश

प्रश्न यह है कि क्या याची को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के लिए कहा जा सकता था और उसकी सेवा को 60 वर्ष की आयु तक बढ़ाया नहीं जा सकता था । याची अपर जिला न्यायाधीश था । वर्ष 2003 में उसे तारीख 14 मई, 2003 का वह आदेश तामील किया गया जिसमें यह अधिकथित किया गया कि न्यायालय ने याची की सेवाओं का निर्धारण और मूल्यांकन करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया है कि याची को सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष तक बढ़ाए जाने का फायदा अनुज्ञात नहीं किया जाए । परिणामस्वरूप, याची को तारीख 31 दिसम्बर, 2003 को अधिवर्षिता की 58 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर सेवानिवृत्त होना पड़ा ।

2. उस आदेश को संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन इस आधार पर आक्षेपित किया गया कि आक्षेपित आदेश में अवलंबित विनिश्चय अर्थात् **ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन (II)** बनाम **भारत संघ**[1] वाला मामला याची के मामले को लागू नहीं होता था । यह निवेदन भी किया गया है कि याची की सेवाओं को न बढ़ाए जाने संबंधी आधारों को, जैसा कि प्रत्यर्थियों द्वारा रिट याचिका के उत्तर में फाइल किए गए प्रति-शपथपत्रों में प्रकट किया गया है, तथ्यतः और विधितः कायम नहीं रखा जा सकता था ।

3. **ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन** बनाम **भारत संघ**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायाधीशों की एसोसिएशन द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि न्यायिक सेवाओं के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में समुचित नियम विरचित किए जाने चाहिएं या

[1] (1993) 4 एस. सी. सी. 288.
[2] (1992) 1 एस. सी. सी. 127.

विद्यमान नियम संशोधित किए जाने चाहिएं जिससे कि तारीख 31 दिसम्बर, 1992 से सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष नियत की जा सके । इसी निदेश और अन्य निदेशों पर इस न्यायालय द्वारा वर्ष 1993 में **ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन (II)** बनाम **भारत संघ**[1] (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन वाले मामले' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) वाले मामले में भारत संघ और विभिन्न राज्यों द्वारा फाइल किए गए पुनर्विलोकन आवेदन में पुनर्विचार किया गया था । पुनर्विलोकन आवेदन का निपटारा करते हुए यह कथन किया गया था कि –

> "सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करके 60 वर्ष तक करने का फायदा सभी न्यायिक अधिकारियों को उनकी पिछली सेवा के अभिलेख और न्यायिक प्रणाली में उनकी सतत् उपयोगिता के साक्ष्य को विचार में लाए बिना स्वतः ही उपलब्ध नहीं होगा । यह फायदा उनको उपलब्ध होगा जिनके अपने-अपने उच्च न्यायालयों की राय में सतत् उपयोगी सेवा में बने रहने की संभाव्यता है । यह निष्क्रिय, अशक्त, शंकास्पद सत्यनिष्ठा, ख्याति और उपयोगिता वाले अधिकारियों के लिए अप्रत्याशित फायदे के रूप में आशयित नहीं है । सतत् उपयोगिता की संभाव्यता का निर्धारण और मूल्यांकन संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा गठित और उनकी अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की समुचित समितियों द्वारा किया जाएगा और मूल्यांकन न्यायिक अधिकारियों की पिछली सेवाओं के अभिलेख, चरित्र पुस्तिकाओं, निर्णय की क्वालिटी और अन्य सुसंगत बातों के आधार पर किया जाएगा ।
>
> उच्च न्यायालय को उन अधिकारियों के मामले में, जो 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले हैं न्यायिक अधिकारियों को लागू अपने-अपने सेवा नियमों में अधिकथित अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए यह कार्यवाही आरंभ करनी चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए । जो इस स्तरमान द्वारा पात्र न पाए जाएं उन्हें उच्चतर सेवानिवृत्ति आयु का फायदा नहीं दिया जाना चाहिए और उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति की उक्त प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए 58 वर्ष की आयु में अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिया जाना चाहिए । यह

---

[1] (1993) 4 एस. सी. सी. 288.

कार्यवाही उन मामलों में भी, जहां पहले अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष से कम थी, 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले की जानी चाहिए । यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह निर्धारण अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष तक करने की हकदारी के लिए सम्बद्ध अधिकारियों की उपयुक्तता का पता लगाए जाने के प्रयोजनार्थ है । यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए किए जाने वाले निर्धारण और अपने-अपने सेवा नियमों के अधीन पूर्वत्तर प्रक्रम/प्रक्रमों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए किए जाने वाले निर्धारण के अतिरिक्त है ।"

4. न्यायालय ने पूर्वोक्त निदेश देने से पूर्व यह स्पष्ट किया कि –

"जारी किए गए निदेश मुख्य निदेश के सहायक और अनुषंगी और अनुपूरक मात्र हैं और तब तक अंतःकालीन उपाय के रूप में आशयित हैं, जब तक कि कोई व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार नहीं की जाती है । ये निदेश, जिस सीमा तक वे लागू होते हैं, युक्तियुक्त और आवश्यक हैं ।"

5. झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्ति की तारीख को परिवर्तित करने के लिए न तो कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है और न ही कोई नियम विरचित किए गए हैं, जैसा कि पुनर्विलोकन आवेदन में इस न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चय में विहित किया गया है ।

6. तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष तक करने के संबंध में नियम विरचित किए हैं । इस प्रश्न पर कि क्या ये नियम **ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन (II)** वाले (उपर्युक्त) मामले में जारी किए गए निदेशों पर अभिभावी होंगे, **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** बनाम **सरनाम सिंह**[1] वाले मामले में पुनः विचार किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब नियम विरचित कर दिए जाते हैं, तो न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश लागू नहीं होंगे । अतः, जहां सेवानिवृत्ति की आयु को विस्तारित किए जाने संबंधी आवश्यक नियम विरचित कर दिए जाते हैं वहां **ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन (II)** (उपर्युक्त) वाले मामले में विहित प्रक्रिया लागू नहीं होगी और संबद्ध अधिकारी सेवा नियमों के अनुसार ही सेवा में बने रहेंगे । तथापि, यह स्पष्ट किया गया कि यदि कोई नियम विरचित नहीं किए जाते तो न्यायिक अधिकारी पूर्ववर्ती मामले में इस

---

[1] (2000) 2 एस. सी. सी. 339.

न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहेंगे परंतु यह तब जबकि अधिकारी **ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन (II)** वाले (उपर्युक्त) मामले में जारी निदेशों के अनुसार उनके सेवा अभिलेखों की संवीक्षा करने पर विस्तारित सेवा के फायदे के लिए उपयुक्त पाए जाएं ।

7. यह स्पष्ट किया गया कि **ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन (II)** वाले (उपर्युक्त) मामले में दिए गए निदेशों के परिणामस्वरूप नए नियम बनाए गए और इसलिए उच्च न्यायालय के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों को सेवानिवृत्ति की आयु में विस्तार का फायदा अनुज्ञात करने से पूर्व उनके सेवा अभिलेख की संवीक्षा करने संबंधी प्रक्रिया का अवलंब लेना आवश्यक नहीं था । न्यायालय ने यह विनिश्चय करते समय **रजत बर्मन राय** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की बृहत्तर न्यायपीठ के उसी आशय के विनिश्चय का अनुसरण किया ।

8. अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों की कार्य शर्तों से संबंधित विवाद्यक पुनः **ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन** बनाम **भारत संघ**[2] (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन (III)** वाला मामला' कहा गया है) वाले मामले में उठाया गया । रिट याचिका, जिसका निपटारा उस निर्णय द्वारा किया गया था, न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग की इस अंतिम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फाइल की गई थी कि अधीनस्थ न्यायपालिका में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी जाएगी । इस सिफारिश को नामंजूर कर दिया गया (निर्णय का पैरा 26 देखिए) क्योंकि यह महसूस किया गया कि अधीनस्थ न्यायपालिक सेवा और उच्च न्यायालय के लिए सेवानिवृत्ति की समान आयु का उपबंध करना समुचित नहीं था । तथापि, इस न्यायालय ने यह सिफारिश की कि यदि जिला न्यायाधीश के काडर में पद खाली हैं तो राज्य सरकारें न्यायिक अधिकारियों के 62 वर्ष की आयु तक पुनर्नियोजन के लिए समुचित नियम बनाए जाने चाहिएं । अन्य निदेश भी दिए गए जो इस अपील के प्रयोजनार्थ सुसंगत नहीं हैं । तत्पश्चात्, न्यायालय ने राज्यों और भारत संघ से यह अपेक्षा की कि वे तारीख 30 सितम्बर, 2002 तक अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

---

[1] (1999) 4 एस. सी. सी. 235.

[2] (2000) 2 एस. सी. सी. 247.

9. यह अस्पष्ट है कि क्या यह समय सीमा सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए थी या 60 वर्ष की आयु तक विस्तारण के संबंध में कानूनी रूप से पहले उपबंध करने के पश्चात् पुनर्नियोजन के लिए उपबंध करने के बारे में थी । यदि ऐसा होता है, तो जैसा कि हमने पहले कहा है, झारखंड उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा **ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन (II)** वाले (उपर्युक्त) मामले में दिए गए निदेशों के निबंधनों के अनुसार कोई नियम विरचित नहीं किए । **ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन (III)** वाले (उपर्युक्त) मामले में किए गए विनिश्चय से वर्ष 1993 में दिए गए निदेशों में कोई हस्तक्षेप या उपांतरण नहीं किया गया । हमारी राय में, इसका परिणाम यह होगा कि वे निदेश, जो **ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन (II)** वाले (उपर्युक्त) मामले में वर्ष 1993 में विरचित किए गए थे जहां तक झारखंड उच्च न्यायालय का संबंध है, अभिभावी बने रहेंगे ।

10. इसलिए उच्च न्यायालय से यह अपेक्षित था कि वह रिट याची के मामले पर विचार करता और जब वह 58 वर्ष की आयु के समीप पहुंचे तो उससे सेवा में बने रहने के बारे में उसकी सहमति लेने के पश्चात् यह विनिश्चय करता था कि क्या याची के सेवा अभिलेख के आधार पर उसे इस सेवा में बनाए रखा जाए ।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा एक मूल्यांकन समिति स्थापित की गई थी । मूल्यांकन समिति ने याची के सेवा अभिलेख पर विचार किया और यह सिफारिश की कि याची और दो अन्य न्यायाधीशों को 58 वर्ष की आयु के परे सेवा में बनाए नहीं रखा जाना चाहिए । मामले को पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसने मूल्यांकन समिति की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया । तारीख 14 मई, 2003 का आक्षेपित पत्र पूर्वोक्त परिस्थितियों में याची को लिखा गया था ।

12. याची की दलील यह है कि वह बहुत अच्छा अधिकारी है, जैसा कि उसके अभिलेख से दर्शित होता है । तारीख 27 सितम्बर, 1999 के आदेश का विनिर्दिष्ट रूप से अवलंब लिया गया जिसके द्वारा याची ने अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ अपर जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अनेक ज्येष्ठ अधिकारियों को अतिष्ठित किया था । यह दर्शित करने के लिए याची एक अच्छा अधिकारी था, उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में की गई विभिन्न टिप्पणियों के प्रति भी निर्देश किया गया ।